



## टेंट एवं विद्युत सामग्री किराए पर लिये जाने हेतू

क्र./

/भा.निर्वा./निविदा/लो.निर्वा./टेंट- विद्युत/2019

देवास,दिनांक

.02-2019

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास (म.प्र.)

टेली: 07272-259 999

ई-मेल: [delectdew@mp.gov.in](mailto:delectdew@mp.gov.in)

वेबसाइट: [www.dewas.nic.in](http://www.dewas.nic.in)

**मूल्य: ₹ 1000/- (केवल एक हजार रुपए)**

**नोट: - बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई होना चाहिए।**

क्र./558 /भा.निर्वा./निविदा/लो.निर्वा./टेंट- विद्युत/2019

देवास,दिनांक 16 .02.2019

**-: निविदा सूचना द्वितीय आमंत्रण :-**

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिये प्रशिक्षण, नामांकन कार्यवाही, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति केन्द्र, मतदान केन्द्र, मतगणना, एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली टेंट/विद्युत सामग्री किराये पर लगाये जाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं

आनलाईन निविदायें एक बोली प्रणाली (Singal Bid System) के आधार पर खोली जावेंगी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रभावी होंगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि 1,000 (राशि एक हजार मात्र) हैं, जिले की वेबसाईट [www.dewas.nic.in](http://www.dewas.nic.in), से दिनांक 26.02.2019 तक डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा की पूर्णता कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि 50,000 (राशि पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के साथ सीलड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा दस्तावेज क्रय राशि 1,000 (राशि एक हजार मात्र) चालान द्वारा मद संख्या 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें -02-निर्वाचन - 800-अन्य प्राप्ति में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति सीलड लिफाफे में साथ में रखी जावे।

निविदा भरी जाकर हार्ड कापी मूलतः हस्ताक्षरित मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 26-02-2019 अपरान्ह 03.00 बजे तक रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। कोरियर तथा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा उसी दिनांक को अपरान्ह 03.30 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

( डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय )

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला देवास (म.प्र.)

पृ. क्र./559 /भा.निर्वा./निविदा/लो.निर्वा./टेंट- विद्युत/2019  
प्रतिलिपि -

देवास,दिनांक 16 .02.2019

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जन सम्पर्क भोपाल की ओर जिले के दो सार्वधिक वितरित किये जाने वाले समाचार पत्रों में उक्त निविदा निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला खण्डवा, शाजापुर, रायसेन, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, नीमच, खण्डवा, खरगौन, हरदा, आगर-मालवा, मन्दसौर एवं सीहोर की ओर निविदा सूचना का प्रचार-प्रसार करने हेतु।
6. श्री ..... पद ..... अध्यक्ष /सदस्य निविदा समिति की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कार्यालय सूचना पटल पर उक्त निविदा को चस्पा करें तथा स्थानीय संस्थाओं को सूचित करें।
8. तहसीलदार ..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कार्यालय सूचना पटल पर उक्त निविदा को चस्पा करें तथा स्थानीय संस्थाओं को सूचित करें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला देवास, निविदा सूचना एवं प्रपत्र को जिले की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला देवास की ओर जिले के दो सार्वधिक वितरित किये जाने वाले समाचार पत्रों में उक्त निविदा निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं प्रकाशन की कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

( डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय )

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला देवास (म.प्र.)

मुल्य रूपये 1000/-

## निविदा-प्रपत्र

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिये प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति केन्द्र, मतदान केन्द्र, मतगणना, एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली टेंट/विद्युत सामग्री किराये पर लगाये जाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदा आमंत्रण।

### भाग-1

#### निविदा समय सारणी :-

- |   |  |
|---|--|
| 1. जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के कार्यालय मे निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- | दिनांक 26-02-2019 (मंगलवार)<br>समय 3:00 बजे तक                             |
| 2. निविदा खुलने का दिनांक व स्थान :-  | 26-02-2019 (मंगलवार)<br>अपरान्ह 03.30 बजे<br>जिला निर्वाचन कार्यालय, देवास |

#### सामान्य शर्तें :-

- ईच्छुक संस्थाओं द्वारा निविदा प्रपत्र वेबसाईट [www.dewas.nic.in](http://www.dewas.nic.in), पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा बंद लिफाफे में जिस पर "लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019-टेंट/विद्युत" लिखा हो, को जिला निर्वाचन कार्यालय देवास में प्रस्तुत की जाना चाहिए निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय के पूर्व निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तथा ऐसी निविदाएँ सीधे निरस्त कर दी जावेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 50000 /- (पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न की जावें।
- निविदा क्रय मूल्य राशि 1000 (राशि रु. एक हजार मात्र) का चालान मद संख्या 0070-अन्य प्रशासनिक-सेवाएं-02 निर्वाचन-800 अन्य प्राप्तिओं में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर मूल प्रति सीलबंद लिफाफे में साथ में रखी जावें।
- प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष नियत दिनांक एवं समय पर खोले जावेंगे। जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा निविदा क्रय मूल्य का चालान तथा आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। अस्पष्ट, अपूर्ण, भरी हुई निविदाएं भी अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदा के संबंध में समस्त प्रकार की सूचनाएं/ संशोधन उपरोक्त दर्शित वेबसाईट पर पोस्ट की जावेगी। अतः निविदाकार को निरंतर वेबसाईट पर विजिट करते रहना चाहिए।
- जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे धरोहर राशि के रूप में रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी के माध्यम से जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पक्ष में देय हो, निविदा स्वीकृति की सूचना के दो दिवस के अन्दर जमा करना होगी। धरोहर राशि कार्य समाप्त होने के पश्चात तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त वापस की जावेगी। निविदा के साथ प्रस्तुत 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) अमानत राशि निविदा समिति द्वारा अंतिम निर्णय उपरांत वापस की जावेगी।
- सफल निविदाकार/निविदाकारों जिन्हें कार्यादेश जारी किया गया है, वे निर्देशानुसार निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराई गई सामग्री की सूची दो प्रतियों में तैयार करेंगे, तथा संबंधित नोडल अधिकारी को मिलान उपरांत हस्ताक्षर प्राप्त कर द्वितीय प्रति स्वयं के पास रखेंगे। विहित स्थान पर उपलब्ध सामग्री की उपलब्धता तथा वापसी के लिए निविदाकार अपने स्वयं के व्यय पर कर्मचारियों को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थान पर सामग्री को व्यवस्थित करने तथा वापसी हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

9. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1. शासकीय कार्य निर्वाचनों के लिये किये गये टेंट/विद्युत कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
2. निविदाकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस हेतु विगत तीन वर्ष की बेलेंस शीट प्रस्तुत की जाना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3. विगत 3 वर्षों की दाखिल की गई आयकर रिटर्न की स्व हस्ताक्षरित प्रति, पेन नम्बर की प्रति प्रस्तुत की जावें। पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. **GST पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
5. निविदाकार एवं उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकार एवं उसके कर्मचारी कार्य अवधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे यदि निविदा शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
6. निविदाकार अपनी ड्यूटी के दौरान निविदाकार और उनके दल को चाय/नाश्ता देने का प्रबंध स्वयं के व्यय पर करेंगे। जिसका भुगतान पृथक से देय नहीं होगा।
7. निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
8. निविदाकार का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक सामग्री की मात्रा तथा अवधि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा कार्य के समय बताई जायेगी। व्यवस्था से संबंधित स्थान, दिनांक एवं आवश्यक सामग्री की मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है।
10. प्रत्येक कार्य के संबंध में विस्तृत ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाध रूप से निरन्तर चलता रहे। तथा समस्त प्रकार की सामग्री निविदाकार के पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें। किसी भी तरह के विलम्ब अथवा शिकायत के लिए उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। एवं प्रतिभूति की राशि राजसात की जावेगी।
10. निविदाकार द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर एवं व्यय सम्मिलित है।
11. जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को यह अधिकार होगा कि गुण-दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।
12. स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 201-19 के लिये मान्य होगी। कार्य की गुणवत्ता एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश में वर्ष 2019-20 तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी।
13. निविदाकार निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 5 में संलग्न प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।
14. निविदाकार से आयकर एवं वाणिज्य कर को नियमानुसार कटोत्रे उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से काटी जावेगी। पेन नम्बर/टेन नम्बर की प्रति संलग्न की जावें।
15. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी देवास द्वारा किया जावेगा जो सर्वमान्य होगा।
16. यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदाकार को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं उसकी कीमत पर किसी अन्य संस्था से कार्य लिया जावेगा।
17. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास, द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबंध में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं उपयोगकर्ता अधिकारियों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण उपरांत स्वीकृती योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा। शेष राशि का भुगतान नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृती एवं आवंटन प्राप्त होने पर तथा आवश्यक कटोत्रों के समायोजन पश्चात किया जावेगा।

18. निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. निविदाकार कार्य समाप्ति पश्चात देयको के साथ किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स अवश्य लगावे अन्यथा आपके द्वारा प्रस्तुत देयक अमान्य कर दिया जावेगा।
20. उपलब्ध कराई गई सामग्री एवं नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त प्रचलित नियम/कानूनों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। सामग्री की अनुपलब्धता, कर्मचारी की अनुपस्थिति होने पर वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/- रुपये प्रतिदिन पैनल्टी लगायी जायेगी, जो निविदाकार को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित कि जावेगी।
21. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण निविदाकार संशोधित चुनाव कार्य अनुसार विहित (कान्ट्रेक्ट) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। निविदाकार को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के द्वारा निवेदित दर को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा, जो कि निविदा दाता को मान्य होगा।
22. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
23. उक्त निविदा जिला मुख्यालय देवास पर निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यक किराये पर ली जाने वाली सामग्री हेतु आमंत्रित की गई है। जिला मुख्यालय से अतिरिक्त तहसील क्षेत्रों तथा संपूर्ण जिले के अन्य क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकृत दरें ही मान्य होंगी। पृथक से आने-जाने का भाड़ा, हम्माली अथवा अन्य व्यय देय नहीं होगा। साथ ही निर्वाचन से संबंधित सामग्री का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाने पर संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
24. निविदाकार अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देवास कार्यालय में कार्यालयीन कार्य दिवस में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**कलेक्टर**  
**एवं जिला निर्वाचन अधिकारी**  
**जिला देवास (म.प्र.)**

भाग-2

आवेदन पत्र

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु  
(टेंट/विद्युत सामग्री किराये पर लगाये जाने हेतु)

1. निविदाकार की फर्म का नाम :

\_\_\_\_\_

2. फर्म का प्रकार (स्वयं / भागीदारी / निदेशक) :

\_\_\_\_\_

3. फर्म के मालिक / प्रोपराईटर/ निदेशक का विवरण

नाम :

\_\_\_\_\_

पता :

\_\_\_\_\_

मोबाईल नम्बर

\_\_\_\_\_

दूरभाष क्रमांक

\_\_\_\_\_

फैक्स नम्बर

\_\_\_\_\_

ईमेल का पता

\_\_\_\_\_

4. जमा की गई प्रतिभूति राशि का विवरण : बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी का क्रमांक \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ राशि \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_

5. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता:

\_\_\_\_\_

दूरभाष क्रमांक

\_\_\_\_\_

फैक्स नम्बर

\_\_\_\_\_

ईमेल का पता

\_\_\_\_\_

6. स्थानीय शाखा का पूरा पता :

\_\_\_\_\_

दूरभाष क्रमांक

\_\_\_\_\_

फैक्स नम्बर

\_\_\_\_\_

ईमेल का पता

\_\_\_\_\_

7. फर्म के स्थानीय / क्षेत्रीय अधिकारी का विवरण -

नाम :

\_\_\_\_\_

पता :

\_\_\_\_\_

मोबाईल नम्बर

\_\_\_\_\_

दूरभाष क्रमांक

\_\_\_\_\_

फैक्स नम्बर

\_\_\_\_\_

ईमेल का पता

\_\_\_\_\_

8. निविदाकार के बैंक का विवरण :

बैंक का नाम :

शाखा का पता :

खाता क्रमांक :

आईएफएससी :

9. पैन संख्या:

(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. सेवा कर पंजीकरण / जीएसटी संख्या:

(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

11. अनुबंध श्रम (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1970 के तहत श्रम लाइसेंस / पंजीकरण का क्रमांक :

12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो:

(प्रदान की गई जगह अपर्याप्त हो, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

13. निम्नलिखित प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई भी निविदाकार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किया गया हो तो ऐसे अनुबंधों का ब्योरा दें (यदि प्रदान की गई जगह अपर्याप्त है, तो एक अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है):

स.क्र.	संबंधित संस्थाओं का नाम/पता/दूरभाष/मो/ई-मेल का पता	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध की कुल राशि (लाख/करोड)	कार्य की कुल अवधि	रिमार्क	कार्यादेश/भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करें ।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

सील

## भाग - 3

### प्रमाण - पत्र

1. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।
2. मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी भी राजनैतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी राजनैतिक दल अथवा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निर्मित होता है तो मैं उसकी अविलंब लिखित सूचना किसी भी परिस्थिति में 24 घण्टे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत करूंगा।
3. मैं, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हूये पूर्ण करूंगा एवं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता एवं निर्विघ्नता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

फर्म का नाम \_\_\_\_\_

फर्म का पता \_\_\_\_\_

निवास का पता \_\_\_\_\_

फर्म का दूरभाष क्रमांक \_\_\_\_\_

निवास का दूरभाष क्रमांक \_\_\_\_\_

मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_



## घोषणा

1. मैं

पिता / पति

उपरोक्त वर्णित फर्म का मालिक / प्रोपराईटर/ निदेशक, हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम हूँ।

2. मैंने निविदा के सभी नियमों और शर्तों को सावधानी से पढ़ और समझ लिया है और मुझे उनका पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी / दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं। मैं / हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हैं कि किसी भी झूठी सूचना/ निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर फर्म तथा मेरे विरुद्ध सक्षम कानून के तहत अभियोजन स्थापित किया जा सकता है। तथा किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को एक पक्षीय रूप से अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

सील

**भाग - 4**  
**बोली "दर" को प्रदर्शित करने वाली प्रपत्र**

**5.1 दर :-**

1	कुर्सी प्लास्टिक	प्रति नग	प्रतिदिन		
2	टेबल लोहे की (2 X 3)	प्रति नग	प्रतिदिन		
3	चादर बडी (6 X 6)	प्रति नग	प्रतिदिन		
4	व्ही.आय.पी. कुर्सी	प्रति नग	प्रतिदिन		
5	व्ही.आय.पी. सोफे	प्रति नग	प्रतिदिन		
6	सामान्य सोफे	प्रति नग	प्रतिदिन		
7	ग्लास	प्रति नग	प्रतिदिन		
8	ग्लास स्टेण्ड	प्रति नग	प्रतिदिन		
9	स्पीच स्टेण्ड (पोडियम)	प्रति नग	प्रतिदिन		
10	पानी का ड्रम 200 लीटर	प्रति नग	प्रतिदिन		
11	पाईप पांडाल सफेद	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
12	गदी (3 X 6)	प्रति नग	प्रतिदिन		
13	रजाई (3 X 6)	प्रति नग	प्रतिदिन		
14	पर्दे सफेद	प्रति नग	प्रतिदिन		
15	कारपेट (5 X 30)	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
16	कनात (साईज का उल्लेख करें)	प्रति नग	प्रतिदिन		
17	तखत (3 X 6)	प्रति नग	प्रतिदिन		
18	पेडस्टल पंखे	प्रति नग	प्रतिदिन		
19	दरी (8 X 10)	प्रति नग	प्रतिदिन		
20	सीढी (स्टेज हेतु)	प्रति नग	प्रतिदिन		
21	टी टेबल (साईज का उल्लेख करें)	प्रति नग	प्रतिदिन		
22	पाईप पंडाल सफेद	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
23	मंच लकडी का	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
24	डोम सादा	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
25	डोम वाटर प्रुफ	प्रति स्क्वेयर फिट	प्रतिदिन		
26	प्लास्टिक कोठी (200 लिटर)	प्रति नग	प्रतिदिन		
27	पाईप 10 फीट के	प्रति नग	प्रतिदिन		
28	हेलोजन 500 वाट	प्रति नग	प्रतिदिन		
29	हेलोजन 1000 वाट	प्रति नग	प्रतिदिन		
30	ट्यूब लाईट (40 वाट)	प्रति नग	प्रतिदिन		
31	सी.एफ.एल. 60 से 100 वॉट	प्रति नग	प्रतिदिन		
32	सी.एफ.एल. 100 वॉट से अधिक	प्रति नग	प्रतिदिन		
33	बल्ब 100 वॉट से कम	प्रति नग	प्रतिदिन		
34	बल्ब 100 वॉट से से अधिक	प्रति नग	प्रतिदिन		
35	माईक सेट	प्रति नग	प्रतिदिन		

36	स्पीकर बाक्स	प्रति नग	प्रतिदिन		
37	कार्डलेस माईक	प्रति नग	प्रतिदिन		
38	चिलम	प्रति नग	प्रतिदिन		
39	मिक्सर	प्रति नग	प्रतिदिन		
40	जनरेटर 7.5 केव्ही	प्रति नग	प्रतिदिन		
41	कूलर (20 इंच)	प्रति नग	प्रतिदिन		
42	सर्विस लाईन थ्री फेस	प्रति मीटर	प्रतिदिन		
43	मेन स्वीच बोर्ड मय चेन्ज ओव्हर	प्रति नग	प्रतिदिन		

**नोट:-** उपरोक्त दरों में कर्मचारी, स्थापना व्यय, अन्य व्यय तथा कर आदि सम्मिलित रहेंगे।

5.2 मैं सहमत हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तावित की गई उपरोक्त दर सभी कर एवं व्ययों सहित प्रस्तुत की गई है।

5.3 निविदा अनुसार समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं, तथा किसी भी निविदा शर्त के उल्लंघन को दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात कर फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.4 निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी क्रमांक-----दिनांक-----राशि  
50000/- बैंक का नाम .....को संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम-----

फर्म का नाम-----

फर्म का पता-----

निवास का पता-----

फर्म का दूरभाष क्रमांक-----

निवास का दूरभाष क्रमांक-----

मोबाईल नंबर-----

## अनुबंध (प्रारूप)

यह अनुबंध दिनांक ..... को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास (म.प्र.) जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रथम पक्ष कहा गया है एवं मेसर्स ..... जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य संपादित किया जाता है। अतः प्रथम पक्ष द्वारा चाहे जाने पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को तय निविदा शर्तों एवं नियमों के अधीन समस्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमत है।

**अतः यह अनुबंध दोनों पक्षों के मध्य निम्नानुसार शर्तों के अधीन सम्पादित किया जाता है :-**

1. मेनपावर तथा सामग्री की आवश्यक संख्या में उपलब्धता की व्यवस्था द्वितीय पक्ष के द्वारा की जावेगी।
2. सभी मेनपावर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शासकीय कार्य करते समय कार्य की गोपनीयता को बनाये रखे। अतः द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये जाने वाले मेनपावर तथा सामग्री की गुणवत्ता हेतु स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
3. मेनपावर द्वारा नियम समय पर निर्धारित कार्य पूर्ण न करने/कार्य अक्षम होने/संसाधनों का दुरुपयोग करने/कार्यालयीन मर्यादाओं का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनिक लापरवाही करने या उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता आदि से संबंधित तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह संबंधित मेनपावर के स्थान पर किसी अन्य मेनपावर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबंध में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा।
5. द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. मेनपावर के संबंध में समस्त प्रचलित नियम/कानूनों के पालन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
7. मेनपावर की अकस्मात् अनुपस्थित, केमरे की खराबी आदि होने पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/- रुपये प्रतिदिन पैनल्टी लगायी जायेगी, जो द्वितीय पक्ष को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित कि जायेगी।
8. प्रथम पक्ष किसी भी समय बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने का तथा अन्य संस्था को कार्य करने हेतु आदेशित करने के लिए स्वतंत्र है जिसके संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के पत्राचार का जवाब अथवा सूचना देने की बाध्यता प्रथम पक्ष की नहीं होगी।
9. निविदा नियम एवं शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली दर प्रतिदिन (24 घंटे) हेतु है। अतः द्वितीय पक्ष को उस अनुसार ही मेनपावर उपलब्ध रखे जाना आवश्यक होंगे।
10. स्वीकृत की गई दर समस्त करों सहित होगी। अतः जीएसटी/सीजीएसटी एवं आयकर से संबंधित तथा अन्य शासकीय करों के कटौती नियमानुसार देयक राशि में से किये जावेंगे।
11. ऐसा कोई बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है, पर उभय-पक्ष निर्णय ले सकेंगे।
12. समस्त प्रकार के विवादों हेतु न्याय क्षेत्र देवास रहेगा।